


22.12.22

पत्रावली पेश। अधिवक्ता पक्षकाराने
उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने नया
वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित
रखते हुए पत्रावली जरिए विद्वो
केसलप करने का निवेदन किया, जिसे
रखीकाए कर पत्रावली खारीज की जाती
है।

पत्रावली केवल शुक्रार होकर
दरज नम्बर के कम की पात्रर लक्षित
वफत हो।


सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रंवल

नया वाद
पेश करने
का अधिकार
सुरक्षित
रखते हुए
जरिए विद्वो
केसलप
करने का
निवेदन
किया

